

न्यायालय:-विशेष न्यायाधीश, भारतीय विद्युत अधिनियम 2003, गोहद,

जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)

विशेष सत्र प्रकरण क0 93/12

संस्थापन दिनांक-20-07-2012

म0प्र0म0क्षे0विद्युत वितरण कम्पनी, लिमिटेड गोहद ग्रामीण
द्वारा-कनिष्ठ यंत्री श्री चंद्रशेखर सिंह

.....परिवादी

विरुद्ध

वारेलाल पुत्र बीरवल, निवासी ग्राम चन्दहरा थाना गोहद,
जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

परिवादी पक्ष द्वारा श्री ए0के0 श्रीवास्तव अधिवक्ता।
अभियुक्त द्वारा श्री सुनील कांकर अधिवक्ता।

// निर्णय //

(आज दिनांक 31.01.2018 को घोषित)

01. अभियुक्त द्वारा परिवादी म0प्र0म0क्षे0वि0वि0 कंपनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण (अत्र पश्चात् केवल परिवादी कंपनी) से विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7377 डी.एल. घरेलू उपयोग हेतु लिया था व उसके द्वारा विद्युत बिल की बकाया राशि जमा न करने के कारण दिनांक 17.05.2012 को परिवादी कंपनी द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया था, लेकिन दिनांक 28.05.2012 को 02:00 बजे, ग्राम चन्दहरा थाना गोहद में चैकिंग के दौरान अभियुक्त द्वारा उक्त कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से कंपनी की एल.टी. लाईन से सीधे तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते हुये पाया गया। इस संबंध में अभियुक्त पर विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 का आरोप लगाया गया है।

02. परिवारी का परिवार संक्षेप में इस प्रकार से है कि परिवारी श्री चंद्रशेखर, जो कि म0प्र0म0क्षे0 विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड गोहद ग्रामीण, जिला भिण्ड में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ होकर परिवार प्रस्तुत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। परिवारी कम्पनी के द्वारा उपभोक्ता बालेलाल पुत्र बीरवल को विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7377 घरेलू उपयोग हेतु दिया गया था। उक्त कनेक्शन पर बिल की बकाया राशि रूपए 33,185/- रूपए होने से और बिल जमा न करने के कारण उसे दिनांक 02.05.2012 को धारा 56 विद्युत अधिनियम का नोटिस भेजा गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17.05.2012 को उक्त कनेक्शन को अस्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया और विद्युत का उपयोग न करने एवं सात दिवस के अंदर बकाया राशि जमा करने का निर्देश उपभोक्ता को दिया गया। तत्पश्चात् दिनांक 28.05.2012 को दोपहर 02:00 बजे, ग्राम चन्दहारा थाना गोहद में परिवारी चंद्रशेखर कनिष्ठ यंत्री, सुरेश तोमर लाईन हैल्पर, मनीष शर्मा लाईन हैल्पर के साथ उक्त विद्युत कनेक्शन को पुनः निरीक्षण करने पहुँचे तो पाया कि अभियुक्त बालेलाल के द्वारा उक्त कटे हुए कनेक्शन को पुनः अनाधिकृत रूप से मण्डल की एल.टी. लाईन से पी0वी0सी0 के सफेद रंग के तार जोड़कर विद्युत उर्जा का उपयोग करते पाये जाने पर उक्त संबंध में पंचनामा प्र0पी0-1 तैयार किया गया जिस पर टीम के सदस्यों ने हस्ताक्षर कराए गए। तत्पश्चात् परिवारी पक्ष की ओर से परिवार पत्र धारा 138(1)(ख) विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत न्यायालय में पेश किया गया।

03. परिवार प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के द्वारा प्रथम दृष्टया भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 के अंतर्गत अपराध घटित करना पाये जाने के संबंध में पर्याप्त आधार दर्शित होने से उसके विरुद्ध उक्त धारा के अंतर्गत आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उसने अपराध करना अस्वीकार करते हुए विचारण चाहा, उसका अभिवाक् अंकित किया गया। तत्पश्चात् परिवार के समर्थन में स्वयं परिवारी चंद्रशेखर कुशवाह प0सा0-2 एवं साक्षी सुरेश तोमर प0सा0-1 का परीक्षण कराया गया। परिवारी साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने निर्दोष होकर झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुये बचाव साक्ष्य में स्वयं को वा0सा0-1 के रूप में परीक्षित कराया गया।

04. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं :

01. क्या अभियुक्त वारेलाल के द्वारा दिनांक 28.05.12 को करीब 02:00 बजे, ग्राम चन्दहारा थाना गोहद में प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7377, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था को अप्राधिकृत रूप से पुनः एल.टी.लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था ?
02. दण्डादेश यदि कोई हो ?

// साक्ष्य का विश्लेषण एवं सकारण निष्कर्ष //

05. जहाँ तक उक्त विचारणीय प्रश्न का संबंध है, परिवादी चंद्रशेखर कुशवाह प0सा0-2 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह दिनांक 02.05.12 को म0प्र0म0क्षे0वि0 कंपनी गोहद ग्रामीण में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके द्वारा 15 दिवसीय नोटिस वारेलाल पुत्र बीरवल जिसका विद्युत कनेक्शन क्रमांक 73-9-7377 है, को देने के लिये मुख्यालय पर कार्यरत सुरेश तोमर एवं मनीष शर्मा को दिया था, जो प्र0पी0-2 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं दिनांक 17.05.12 को 7 दिवसीय नोटिस वारेलाल पुत्र बीरवल को भेजा गया था जो प्र0पी0-3 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा दिनांक 28.05.12 को समय दोपहर करीब दो बजे वह ग्राम चंदहारा में साधारण चैकिंग के गया था और उसके साथ सुरेश तोमर, मनीष शर्मा लाईन हैल्पर मौजूद थे। उस समय उसके द्वारा दिये गये नोटिस के कनेक्शनों का निरीक्षण कराने का निर्देश लाइनमेन को दिया गया था तो निरीक्षण उपरांत वारेलाल पुत्र बीरवल द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपयोग किया जाना पाया था, जिसका मौके पर पंचनामा बनाया गया जो प्र0पी0-1 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं मौके से दो तार लाल रंग के पन्द्रह फिट के जप्त किये गये थे।

06. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी चंद्रशेखर प0सा0-2 का कहना है कि वह नहीं बता सकता कि नोटिस प्र0पी0-2 व प्र0पी0-3 की तामील हेतु सुरेश सिंह वारेलाल के यहां गये थे या नहीं। यह सही है कि प्र0पी0-2 व प्र0पी0-3 पर अभियुक्त वारेलाल के हस्ताक्षर नहीं हैं। यह सही है

कि हस्ताक्षर करने से मना करने वाली टीप के नीचे प्र0पी0-3 पर कोई हस्ताक्षर नहीं है। उसके कार्यालय से ग्राम चंदहारा 5-6 किलोमीटर दूर होगा। घटना दिनांक को वह चैकिंग करते हुये वह ग्राम चंदहारा गया था और उस दिन चंदहारा के अलावा अन्य गांव में भी निरीक्षण किया था। निरीक्षण करने के लिये वह मनीष शर्मा एवं सुरेश सिंह एक साथ मोटरसाईकिल से गये थे। अभियुक्त का कनेक्शन गांव की डी0पी0 से था और यह कहना गलत है कि दिनांक 28.05.12 को ग्राम चंदहारा के गांव की डी0पी0, जिससे आरोपी का कनेक्शन था बंद पड़ी थी। जिस दिन अभियुक्त का कनेक्शन विच्छेदित किया गया था उक्त दिनांक को वह अपने स्टाफ के साथ नहीं गया था, लेकिन यह गलत होना बताया है कि उसने आरोपी का कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया था तथा स्वतः प्रकट किया है कि स्टाफ ने कार्यालय में आकर लिस्ट पेश कर रिपोर्ट दी थी। यह सही है कि उक्त लिस्ट को उसने प्रकरण में पेश नहीं किया है। यह सही है कि पंचनामा प्र0पी0-1 पर अंकित नक्शामौका में चारों दिशाओं में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है और स्वतः कहा कि उसने तो केवल मकान का उल्लेख किया है। मौके पर अभियुक्त बरेलाल उपस्थित था, किंतु उसने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। यह सही है कि जो तार उसके द्वारा अभियुक्त से जप्त किये गये थे उक्त तार बाजार में उपलब्ध रहते हैं तथा यह कहना गलत है कि अभियुक्त का कनेक्शन विच्छेदित नहीं किया गया था और वह डी0पी0 से तार जोड़कर विधुत का अवैध उपयोग नहीं कर रहा था। यह कहना गलत है कि गांव की डी0पी0 कई महीनों से खराब थी और उससे विधुत प्रदाय नहीं किया जा रहा था एवं प्र0पी0-1 लगायत प्र0पी0-3 के पत्रकों की कार्यवाही कार्यालय पर बैठकर की थी।

07. परिवादी साक्षी लाईन हेल्पर सुरेश सिंह तोमर प0सा0-1 का कहना है कि वह दिनांक 28.05.12 को म0प्र0म0क्षे0वि0 वितरण कंपनी गोहद ग्रामीण में लाईन हेल्पर के पद पर पदस्थ होकर उक्त दिनांक को ग्राम चंदहारा में चंद्रशेखर जे0ई0 व मनीष शर्मा के साथ अभियुक्त वारेलाल के यहां चैकिंग करने के लिये गये थे, तभी उसने देखा था कि अभियुक्त द्वारा कटे हुये कनेक्शन को पुनः अवैध रूप से चालू कर विद्युत का उपयोग कर रहा था, तब फिर उक्त संबंध में जे0ई0 चंद्रशेखर द्वारा

मौके पर पंचनामा बनाया था, लेकिन मौके पर कोई जप्ती नहीं की गई थी।

08. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उक्त दिनांक 28.05.12 को अन्य किसी गांव में किसी भी कनेक्शन को चैक नहीं किया गया था और गोहद से ग्राम चंदहारा जाते समय अन्य गांव गोहदी, सिसोदा, भियानी बीच में मिलते हैं। चैकिंग के समय आरोपी की लाईट जल रही थी। आरोपी का जिस डी0पी0 से कनेक्शन था वह डी0पी0 बंद पड़ी हुई थी। स्वतः कहा कि अन्य डी0पी0 से उसका कनेक्शन जुड़ा हुआ था एवं पंचनामा प्र0पी0-1 को उसने पड़ा नहीं था।

09. उपरोक्त के विपरीत बचाव साक्ष्य में स्वयं अभियुक्त वारेलाल ब0सा0-1 का अपने मुख्य परीक्षण में कहना है कि वह ग्राम चंदहारा का रहने वाला है। वह वैरागी है। ग्राम चंदहारा में विधुत कनेक्शन उसके नाम से है, किंतु वह उसके भाई गनेशराम, संतोष, ओमप्रकाश के यहां लगा है। उसके गांव में गनेशराम के नाम से ही डी0पी0 रखी गई है, जिससे कनेक्शन दिया गया था, जो पिछले 15-20 साल से बंद है। उक्त संबंध में उसने ग्राम चंदहारा का पंचनामा प्र0पी0-1 पेश किया है। उसे विधुत विभाग द्वारा कभी भी किसी प्रकार का कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कभी कनेक्शन विच्छेदित किया गया है।

10. प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षी का कहना है कि उसे वैरागी हुये करीब 5-6 साल हो गये हैं तथा यह सही है कि वह घर पर नहीं रहता है और बाहर रहता है, लेकिन यदि कोई विद्युत कर्मचारी उसके घर जाता है तो उसे उसकी जानकारी हो जाती है, क्योंकि वह घर आता जाता रहता है। डी0पी0 से लाईट बंद होने के संबंध में कोई आवेदन पेश नहीं किया है, क्योंकि सुनवाई नहीं होती है। विद्युत की जो राशि बकाया था उसका चौथाई हिस्सा उसके द्वारा जमा किया जा चुका है तथा यह गलत है कि उसने प्र0पी0-1 का झूठा पंचनामा पेश किया है।

11. इस प्रकार विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्तानुसार अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन तथा मूल्यांकन करने पर पाया जाता है कि परिवादी

चंद्रशेखर प०सा० 2 का अपने कथनों में कहना है कि दिनांक 02.05.12 को म०प्र०म०क्ष०वि०वि०क०लि० गोहद ग्रामीण में कनिष्ठ यंत्री के पद पर पदस्थ रहते हुए उसने उपभोक्ता/अभियुक्त वारेलाल को देने के लिए 15 दिवसीय नोटिस प्रपी० 2 मुख्यालय पर कार्यरत सुरेश तोमर व मनीष शर्मा को दिया था एवं दिनांक 17.05.12 को सात दिवसीय नोटिस प्रपी० 3 अभियुक्त वारेलाल को भेजा गया था, लेकिन इस साक्षी के उक्त कथनों का रंच मात्र भी समर्थन स्वयं उसके अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश सिंह तोमर प०सा०-1 के कथनों से नहीं होना पाया जाता है, क्योंकि उक्त संबंध में लाईन हैल्पर सुरेश सिंह प०सा०-1 का अपने न्यायालयीन कथनों में कुछ भी कहना नहीं है तथा स्वयं परिवादी चंद्रशेखर प०सा०-2 ने भी अपने कथनों में यह कदापि स्पष्ट नहीं किया है कि प्र०पी० 3 का नोटिस किसके माध्यम से उन्होंने अभियुक्त को भिजवाया था और उनका अपने कथनों में ऐसा भी कहना नहीं है कि प्र०पी० 2 व 3 के नोटिस अभियुक्त वारेलाल पर तामील हो गये थे व किस दिनांक को हुए थे बल्कि प्रतिपरीक्षण के दौरान पेरा क्रमांक 3 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह नहीं बता सकता है कि नोटिस प्र०पी० 2 व 3 की तामीली हेतु अधीनस्थ कर्मचारी सुरेश सिंह अभियुक्त वारेलाल के पास गया था या नहीं।

12. इसी प्रकार प्रकरण के साथ संलग्न नोटिस प्र०पी० 2 व 3 के अवलोकन से पाया जाता है कि नोटिस प्र०पी० 3 पर "हस्ताक्षर करने से मना किया" की टीप अंकित की गयी है लेकिन उक्त टीप पर उसके लिखने वाले परिवादी कंपनी के किसी कर्मचारी के न तो कोई हस्ताक्षर हैं और न ही मौके के किसी साक्षी के कोई हस्ताक्षर कराये गये हैं तथा नोटिस प्र०पी० 2 के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त नोटिस अभियुक्त वारेलाल व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं कराते हुए किसी सोनू शर्मा को तामील कराना बताया गया है लेकिन यह कदापि स्पष्ट नहीं किया है कि प्राप्तकर्ता सोनू शर्मा अभियुक्त वारेलाल का कौन है। अतः उक्त समस्त के आलोक में अभियुक्त वारेलाल ब०सा० 1 के यह कथन सही होना प्रकट हैं कि उसे प्र०पी० 2 व 3 के नोटिस की कोई तामीली नहीं कराई गयी है। तदनुसार मामले में उक्त संबंध में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होती है।

13. परिवादी चंद्रशेखर प0सा0 2 ने अपने कथनों में दिनांक 28.05.12 को करीब 2 बजे ग्राम चंदहारा में लाईन हैल्पर सुरेश तोमर व मनीष शर्मा के साथ किये गये निरीक्षण के समय अभियुक्त वारेलाल के द्वारा अवैध रूप से विद्युत का उपयोग करते हुए पाये जाने पर मौके का पंचनामा प्र0पी0 1 तैयार करते हुए लाल रंग के 15 फिट के दो तार जप्त किया जाना बताया है तथा लाईन हैल्पर सुरेश सिंह प0सा0-1 ने भी उपरोक्तानुसार कथन करते हुए कथित निरीक्षण के समय अभियुक्त वारेलाल द्वारा काटे हुए कनेक्शन को पुनः अवैध रूप से चालू कर विद्युत का उपयोग करना बताया है, लेकिन इस साक्षी का कहना है कि मौके पर उस समय कोई जप्ती नहीं की गयी थी तथा मौके का पंचनामा प्र0पी0 1 के अवलोकन से भी पाया जाता है कि उसमें परिवादी चंद्रशेखर द्वारा चरण क्रमांक 9 में अधिग्रहण के ब्यौरे के अंतर्गत 15 फिट के लाल कलर के दो तार एवं कन्डक्टर को जप्त किया जाना बताया है, जबकि परिवादी चंद्रशेखर द्वारा अपने लिखित परिवाद में पी0वी0सी0 के दो तार सफेद रंग के अभियुक्त द्वारा एल0टी0 लाईन पर जोड़कर विद्युत का अप्राधिकृत उपयोग करना बताया है। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण सहित प्र0पी0 1 के पंचनामा के मध्य उपरोक्तानुसार महत्वपूर्ण विरोधाभाष एवं विसंगती होना पाया जाता है।

14. परिवादी चंद्रशेखर प0सा0 2 का मुख्य परीक्षण में ही अपने मामले के विपरीत कहना है कि घटना दिनांक 28.05.12 को चैकिंग के लिए ग्राम चंदहारा में पहुंचने के बाद उसने नोटिस के कनेक्शनों का निरीक्षण कराने का निर्देश लाईन मेन को दिया था एवं मौके का पंचनामा प्र0पी0 1 के अवलोकन से पाया जाता है कि उक्त छपे हुए प्रारूप वाले पंचनामों में अंकित मौका स्थल की दिशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के सामने कुछ भी लेख नहीं किया है एवं उक्त संबंध में साक्षी ने स्वीकारोक्ति करते हुए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण अपने कथनों में नहीं दिया है। अतः स्वयं परिवादी चंद्रशेखर प0सा0 2 द्वारा प्रश्नगत घटना के समय स्वयं स्थल निरीक्षण नहीं किया जाना प्रकट है।

15. इसी प्रकार महत्वपूर्ण दस्तावेज पंचनामा प्र0पी0 1 के अवलोकन से पाया जाता है कि उसमें प्रश्नगत कनेक्शन के काटे जाने की दिनांक का कोई उल्लेख नहीं है जबकि परिवादी पक्ष के मामले के

अनुसार ही उक्त पंचनामा कनेक्शन विच्छेदित किये जाने से 11 दिवस पश्चात तैयार किया गया है और उक्त पंचनामा प्र0पी01 के मौका नक्शा में मात्र उपभोक्ता के मकान का उल्लेख किया गया है लेकिन परिवादी पक्ष के बताये अनुसार उक्त मकान से परिवादी कंपनी की एल0टी0 लाईन पर दो लाल रंग की डोरी डले होने के संबंध में नक्शामौका में कुछ भी उल्लेख नहीं है, बल्कि पंचनामा प्र0पी0 1 के अवलोकन से यह भी प्रकट है कि परिवादी पक्ष के मामले के विपरीत उक्त पंचनामे के आधे-आधे भाग को भिन्न-भिन्न व्यक्ति द्वारा भिन्न-भिन्न स्याही से लेख किया गया है और उसे उपभोक्ता के नाम व पता संबंधी चरण क्रमांक 7 तक खाली छोड़ते हुये चरण क्रमांक 8 व 9 को प्रश्नगत घटना के पूर्व से ही तैयार कर लिया जाना दर्शित होता है। अतएव परिवादी चंद्रशेखर के कथनों सहित उसके द्वारा सम्पादित पंचनामा प्र0पी0 1 की कार्यवाही संदिग्ध स्वरूप की होना पायी जाती है।

16. परिवादी चंद्रशेखर प0सा0 2 का अपने कथनों में कहना है कि प्रश्नगत कनेक्शन को विच्छेदित किये जाने के समय वह अपने स्टॉफ के साथ नहीं गया था बल्कि उसका कहना है कि स्टॉफ ने कार्यालय में आकर उक्त संबंध में लिस्ट पेश कर दी थी लेकिन जहां एक ओर ऐसी कोई लिस्ट प्रकरण में पेश नहीं किया जाने से मामले में परिवादी पक्ष के विपरीत उपधारणा होती है, वहीं दूसरी ओर संबंधित लाईन हेल्पर सुरेश सिंह प0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के पेरा क्रमांक 2 में स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि अभियुक्त का जिस डीपी से कनेक्शन था वह बंद पड़ी हुई थी और स्वतः प्रकट किया है कि उसने अन्य डीपी से अभियुक्त का कनेक्शन जुड़ा हुआ पाया था एवं उपर के पेराओं में किये गये विवेचन के प्रकाश में अभियुक्त को प्र0पी0 2 व 3 का नोटिस विधिवत तामील कराये जाने के संबंध में परिवादी पक्ष का मामला प्रमाणित नहीं हुआ है तथा पंचनामे के साक्षी सुरेश सिंह प0सा0 1 जो कि परिवादी चंद्रशेखर प0सा0 2 का अधीनस्थ कर्मचारी है कि उसने प्र0पी0 1 का पंचनामा पढ़ा नहीं था एवं चंद्रशेखर प0सा0 2 का कहना है कि घटना दिनांक 28.05.12 को ग्राम चंदहारा सहित अन्य गांव में साधारण चैकिंग के लिए गये थे जबकि हमराह लाइन मेन सुरेश सिंह प0सा0 1 का कहना है कि उक्त दिनांक को केवल अभियुक्त के कनेक्शन की चैकिंग हेतु ग्राम चंदहारा गये थे एवं चंद्रशेखर प0सा0 2 ने जिरह में यह

गलत होना बताया है कि अभियुक्त का जिस डी0पी0 से कनेक्शन था वह बंद पड़ी हुई थी। इस प्रकार उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों में अभिलेख पर अनेक महत्वपूर्ण एवं सारवान विरोधाभाष होना भी पाये जाने से जहां एक ओर उपरोक्त समस्त विवेचन के प्रकाश में अभियुक्त पक्ष के विद्युत कनेक्शन को परिवादी पक्ष द्वारा दिनांक 17.05.12 को विच्छेदित कर दिये जाने एवं अभियुक्त द्वारा अनाधिकृत रूप से एल0टी0 लाईन से तार जोड़े हुए पाये जाने के संबंध में भी परिवादी पक्ष के कथन विश्वासप्रद स्वरूप के होना नहीं पाए जाते हैं, वहीं दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष द्वारा मामले में झूठा फसाये जाने विषयक लिये गये बचाव के सही होने की प्रबल संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है।

17. दांडिक विधि शास्त्र का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन को अपना मामला प्रत्येक दशा में संदेह से परे प्रमाणित किया जाना होता है और जहाँ अभियुक्त के द्वारा अपराध किए जाने के संबंध में संदेह है, वहाँ हमेशा अभियुक्त संदेह का फायदा प्राप्त करने का अधिकारी है और प्रश्नगत प्रकरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि परिवादी अपने मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है।

18. परिणामतः उपरोक्त संपूर्ण विवेचन के आधार पर परिवादी चंद्रशेखर प0सा0-2 के उक्त कथनों सहित उसके द्वारा संपादित प्रश्नगत कार्यवाही विश्वासप्रद स्वरूप की होना नहीं पाये जाने से विचारणीय प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध अभिलेख पर ठोस, दृढ़ एवं विश्वासजनक साक्ष्य का अभाव होने से युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त वारेलाल के द्वारा दिनांक 28.05.12 को करीब 02:00 बजे, ग्राम चन्दहारा थाना गोहद में प्रदत्त विद्युत कनेक्शन क्रमांक 72-09-7377, जो कि पूर्व में अस्थाई रूप से विच्छेदित किया गया था को अप्राधिकृत रूप से पुनः एल. टी. लाइन से सीधे तार डालकर विद्युत का उपयोग किया जा रहा था। तदनुसार अभियुक्त वारेलाल को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 138 के अपराध आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

19. अभियुक्त जमानत पर है अतः उसके जमानत प्रपत्र भारमुक्त किये जाते हैं।

20. प्रकरण में जप्तशुदा दोनों तार मूल्यहीन प्रकट होने से अपील अवधि पश्चात् अपील नहीं होने की दशा में नष्ट हों। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

(निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

(सतीश कुमार गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश,
भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०